



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275351
CG-DL-E-10082026-275351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 51]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

फा. सं. K-11011/07/2026-डीडी-II.— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 31 कक की उपधारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त (भूमि प्रबंधन) को 'दिल्ली विकास अधिनियम, 1957' [जिसे 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026' द्वारा संशोधित किया गया है] के संबंधित प्रावधानों के तहत मामलों के निपटारे के लिए 'न्यायनिर्णयन अधिकारी' (Adjudicating Officer) नियुक्त करती है; और दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) को 'अपीलीय प्राधिकरण' (Appellate Authority) नियुक्त करती है, जो निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेंगे।

सूर्य नारायण झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2026

F. No. K-11011/07/2026-DD-II.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 31AA of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints the Commissioner (Land Management), Delhi Development Authority, as the Adjudicating Officer for adjudication of matters under the relevant provisions of the Delhi Development Act, 1957, as amended by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 and the Principal Commissioner (Land Management), Delhi Development Authority, as the Appellate Authority to hear appeals against the orders passed by the Adjudicating Officer.

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.